

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय  
मिड डे मील योजना  
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक:-एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020-21/ 19

दिनांक 28/5/20

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय-प्रारम्भिक शिक्षा  
समस्त।

विषय:- कोरोना वायरस (COVID - 19) के संक्रमण को देखते हुये लॉक डाउन अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत उपयोग में लिये गये खाद्यान्न के उपयोग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की समेकित सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID - 19) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विद्यालयों में उपलब्ध शेष रहे खाद्यान्न के यथोचित उपयोग हेतु विभागीय पत्र दिनांक 30.03.2020 द्वारा जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया था।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लॉक डाउन अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत शेष खाद्यान्न को राजकीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत) में पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण हेतु उपयोग में लेने हेतु मांग की गई थी। विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रशासन के समन्वयन में आपके द्वारा खाद्यान्न का समुचित उपयोग किया जा रहा है।

अतः आज दिनांक 28.05.2020 तक उपयोग में लिये गये एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की समेकित सूचना निम्न प्रपत्र में शायं 04 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	दिनांक 14 मार्च, 2020 से 28 मई, 2020 तक COVID - 19 के कारण उठाव /वितरण/उपयोग में लिये गये खाद्यान्न की मात्रा			महिला एवं बाल विकास विभाग (आंगनबाड़ी केन्द्रों) को उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की मात्रा		
	गेहूं	चवल	योग	गेहूं	चवल	योग
01	02	03	04	05	06	07

www.rajteachers.com

उपायुक्त (क्रि.एवं मू.)